330

संख्याः — /XXIV(6)/2016-32(4)/12

प्रेषकः

डा0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) **देहरादूनः** **दिनॉकः** 19 **अप्रैल, 2016**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान में मानक मद 43 वेतन भत्ते के लिये सहायक अनुदान अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–08/94/2016–17/एफ0सी0–डी0यू0/2016 दिनांक 06.04.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 लेखानुदान में दून विश्वविद्यालय, देहरादून हेतु आयोजनागत पक्ष (Plan) की मानक मद संख्या–43 वेतन आदि बचनबद्ध मदों में लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 183.33 हजार (एक करोड़ तिरास्सी लाख तैंतीस हजार मात्र)–की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में वर्णित व्यवस्थानुसार स्वीकृत करते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत वेतनमद की धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल 2015 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का तथा तद्क्रम में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की गयी धनराशि उप निदेशक,उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणि बनाकर किश्तों में किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों व स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लीं जाय।

(4) व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अधिककृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी, और न ही व्यय भार का सृजिन किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारीद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हो, हेतु भुगतान किया जायेगा। अन्य मदों में व्यय हेतु फांट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(7) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये।

330P

(8) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुदानित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यों आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि का व्ययार्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

(10) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

(11) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को बीते माह की अगली 05 तारीक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) यह सुनिश्चित यिका जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–विवरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदानों से स्वीकृत अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 05– दून विश्वविद्यालय–00, 43– वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–345/XXIV(6)2016-32(4)/12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।